

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] No. 318] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2017/वैशाख 6, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2017/VAISAKHA 6, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

सा.का.िन. 407(अ)—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पिठत धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाए।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।
- 2. भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 के विवाद समाधान से संबंधित अध्याय V के नियम 14, उपनियम (2) में "इन नियमों के प्रवृत होने की तिथि से साठ दिनों की अविध के भीतर" शब्द हटा दिए जाएंगे।

[फा. सं. 2-6/2014-नीति-। (खंड III)]

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम दिनांक 15 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1070(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2017

- G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, in chapter V relating to Dispute resolution, in rule 14, in subrule (2), the words "within a period of sixty days from the date of coming into force of these rules" shall be omitted.

[F. No. 2-6/2014-Policy-I (Vol.III)]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 2016.